रोहिताश / हरीपास

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22/5/18	अभिभाषक अपीला०/रेस्पो० उपस्थित। अतः पत्रावली ... को पेश हो। दिनांक 30.5.18 को पेश हो।
30/5/18	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित/राजस्व अपील प्राधिकारी बाद बहस आदेश दौरे पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार आ. कार्यवाही दिनांक 4.6.18 को पेश हो।
4/6/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. अपी. ने प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो चुका है अतः निवेदन है कि उक्त अपील का निस्तारण किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अपी. अपी. ने भी अपनी सहमति देते हुए प्रार्थना-पत्र पर हस्ता० किये हैं। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रा. किया गया। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 8.6.18 को पेश हो।
8/6/18	पत्रावली पेश हुई। सहायक न्यायालय की आदेशिका दि. 22.5.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दि. 22.5.18 को राजीनामा के आधार पर मूल वाद Not Press में खारिज हो चुका है। प्रस्तुत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र में पारित आदेश के खिलाफ है। चूंकि जब मूल वाद ही निस्तारित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में T.I. की यह अपील इन्फेक्चुअस (प्रभावहीन) हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील इन्फेक्चुअस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner